

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

अमित खरे,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 18/07/2017

विषय : प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव 2017-18 को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


प्रसंग : योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) का पत्रांक-310/बजट,
दिनांक-29.06.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्र संख्या-29/बी०एस०जी०-01/2017-18/310/बजट, दिनांक-29.06.2017 जिसके द्वारा अनुपूरक सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त प्रभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि दिनांक-05.07.2017 निर्धारित थी, को संशोधित करते हुए अनुपूरक सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि दिनांक-24.07.2017 को 6.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जाती है।

2. प्रसंगाधीन पत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन,




(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/.....334...../बजट, राँची, दिनांक : 18/07/2017

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची/प्रभारी सचिव, विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-01/2017-18/.....334...../बजट, राँची, दिनांक : 18/07/2017

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा०/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सदस्य, राजस्व पर्वद के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अमित खरे)

अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग।